पुलंगी ग्राम पंचायत, मेरडुमल्ली मंडल, पूर्व गोदावरी जिला, आंध्र प्रदेश

पुलंगी ग्राम पंचायत (जीपी) में कोंडारेड्डियों के लगभग 350 परिवारों की 11 बस्तियां हैं, जो 1100 की आबादी का एक विशेष कमजोर जनजातीय समूह है। पेसा अधिनियम ग्राम सभा को अपने क्षेत्र में शराब की खपत पर निर्णय लेने का अधिकार देता है। पेसा एक्ट के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को लागू करते हुए पुलंगी ग्राम पंचायत क्षेत्र में गुमपेनागंडी की ग्राम सभा ने गाँव में देसी शराब का निर्माण और शराब की खपत रोकने का फैसला किया। ग्राम सभा ने एक बैठक में देशी शराब बनाने और इसके उपभोग, तथा लोगों पर इसके प्रतिकूल प्रभाव के बारे में चर्चा की और गाँव में शराब की बिक्री और पीने एवं अन्य गांवों से शराब के परिवहन पर प्रतिबंधलगाने का एक संकल्प पारित कर दिया। ग्राम सभा ने निर्णय लेकर प्रस्ताव पारित कर दिया कि अगर कोई पुरुष/महिला इस निषेध का उल्लंघन करता/करती है, तो उसे 50 रुपए का भुगतान करना होगा – और उल्लंघन के दोहराने के मामले में, कोई ग्रामीण उसके घर हो नेवाले किसी उत्सव या समारोह में भाग नहीं लेगा। वहाँ तब से गाँव में शराब की बिक्री या खपत की किसी घटना की सूचना नहीं मिली है।

(स्रोतः क्षेत्र के दौरे की रिपोर्ट (2013)– डॉ. पल्ला त्रिनाधा राव, सलाहकार, एनआईआरडी और पीआर)